

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

2



3

अभिलेख उपस्थापित।

3 सुमा देवी पति तिलेश्वर ठाकुर पिता बालेश्वर हजाम, निवास स्थान-रेवार, पोस्ट-चंदवार, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-रेवार, थाना नं०-230, खाता संख्या-03, प्लॉट संख्या-15, रकवा-0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि नेहा देवी पति सुरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता रामचन्द्र राम, निवास स्थान नूरा, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-लोहरसिंगना, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की ध्वयाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-239/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1450/रा० दिनांक 21.04.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 846 दिनांक 02.05.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं केता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी०एन०टी० से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत अमली हजाम हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 7.88 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 6.31 भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-5/1 पर चोरो ठाकुर के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। आवेदिका के ससुर जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदिका घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रही हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 6.27 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ. कार. दिप्पनी
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सुमा देवी पति तिलेश्वर ठाकुर पिता बालेश्वर हजाम, निवास स्थान-रेवार, पोस्ट-चंदवार, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-रेवार, थाना नं0-230, खाता संख्या-03, प्लॉट संख्या-15, रकवा-0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि नेहा देवी पति सुरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता रामचन्द्र राम, निवास स्थान बूरा, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-लोहसिंगना, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p> <p style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p>	